कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा (म.प्र.)

E-mail addr.- deo.agar@mpexcise.org (☎ 07362-259521)

आगर मालवा, दिनांक :– 17 .02.2020

// विज्ञप्ति //

सर्वसाधारण की जानकारी एवं मोटर ऑपरेटर्स की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि आगर मालवा जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत मदिरा के अवैध परिवहन में जप्तशुदा एवं राजसात किए वाहनों के निवर्तन हेतु सीलबंद निविदाएं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा (म.प्र.) पर आमंत्रित की जाती है।

राजसात किए गये वाहन निम्न सारणी अनुसार उनके सम्मुख दर्शाए स्थान पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेंगे। निविदा की शर्तों एवं निविदा फार्म क्रय/प्राप्त किए जाने तथा अन्य जानकारी अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस में दिनांक 28.02.2020 को समय दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा से प्राप्त की जा सकती है।

राजसात वाहन के निर्वतन हेतु निविदा की पूर्ण पूर्ति के पश्चात् इच्छुक व्यक्ति द्वारा सीलबंद निविदाएं दिनांक 28.02.2020 दिन शुक्रवार को दोपहर 01.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा में जमा की जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित दिनांक एवं समय पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाएं ग्राह्य नहीं की जावेगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 28.02.2020 दिन शुक्रवार को दोपहर 03.00 बजे कलेक्टर सभाकक्ष, जिला आगर मालवा में उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष कलेक्टर या उनके द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जावेगी। परंतु निविदादाताओं की अनुपस्थिति निविदा खोलने की प्रक्रिया में बाधक नहीं होगी। वाहन का निवर्तन, ऑफसेट मूल्य के आधार पर किया जावेगा। वाहन का प्रकार एवं उसका ऑफसेट प्राईज निम्नानुसार है :–

क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन का पंजीयन क्रमांक	ऑफसेट प्राईज	वाहन के रखे होने/ अवलोकन किए जाने का स्थान
1	2	3	4	5
1	बौलेरों मेक्सी मिनी पिकअप	MP-42-T-1016	150000	पुलिस थाना नलखेड़ा
2	यामाह क्रक्स मोटर सायकल	MP-42-BA-0812	2000	पुलिस थाना आगर
3	बजाज पल्सर मोटर सायकल	MP-41-ML-4149	6000	पुलिस थाना आगर
4	हिरोहोण्डा सीडी डिलक्स, मोटरसायकल	RJ-28-SC-7457	2500	पुलिस थाना सुसनेर

01. निविदा खोलने वाले हॉल में निविदादाता अथवा उसका वैध प्रतिनिधि जिसके पास निविदा के चालान की छायाप्रति होगी जिसे गैटपास माना जावेगा। उक्त छायाप्रति को कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा में मूल चालान देखकर पहले सत्यापित कराया जावेगा। विभाग द्वारा निर्गत आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जावेंगे।

02. वाहन के निविदा आवेदन पत्र के साथ वाहनों की निर्धारित ऑफसेट प्राईज की 10 प्रतिशत् राशि (धरोहर) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, अधिसूचित बैंक, अधिसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक एवं बैंक केश आर्डर जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा के नाम जमा किया जाना अनिवार्य है।

निरन्तर..........02

03. वाहन जिस हाल में है, जहाँ खड़ा है, उसी हालत में सौंपा जाएगा।

04. निर्धारित समयसीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।

05. निविदा की शर्तें, नियम एवं निविदा फार्म रूपये 300/– प्रोसेसिंग शुल्क मद 0039 स्टेट एक्साइज 800 अन्य प्राप्तियों के मद में सायबर कोषालय के माध्यम से चालान जमा कर अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में निविदा दिनांक 28.02.2020 तक दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा (म.प्र.) से प्राप्त किए जा सकते हैं।

06. नियत दिनांक तक उपरोक्त वाहनों में से किसी भी वाहन के अधिहरण को स्थगित/निरस्त करने संबंधी किसी भी समक्ष न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर उस वाहन को नीलामी से पृथक रखने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

07. अपरिहार्य कारणों से उक्त निविदा के कार्यक्रम में परिवर्तन का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

(बी.एल. दांगी)
प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी,
District Excise Officer
जिला आगर मालवा, म0प्र0
Distt. Agar Malwa (M.P.)

पृ.क्रमांक/आब./वाहन/2019–20/202
आगर मालवा, दिनांक 17.02.2020

प्रतिलिपि :–

01. आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, बाणगंगा रोड़, भोपाल की ओर हिन्दी भाषा के प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु दस प्रतियों में।

03. पुलिस अधिक्षक, जिला आगर मालवा की ओर संबंधित थाना प्रभारियों को इच्छुक निविदादाताओं को वाहनों का अवलोकन कराने हेतु निर्देशित करने आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

04. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ।

05. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, आगर मालवा की ओर जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाश विभाग, आगर मालवा की ओर उक्त विज्ञप्ति को समाचार के रूप में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

07. जिला परिवहन अधिकारी जिला आगर मालवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

08. सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।

09. कार्यालय कलेक्टर, जिला आगर मालवा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

10. जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

11. सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उप निरीक्षक, वृत्त आगर एवं सुसनेर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रत्येक स्तर पर समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी,
District Excise Officer
जिला आगर मालवा, म0प्र0
Distt. Agar Malwa (M.P.)